IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website: http://www.upavp.com; E-mail: info@upavp.com

भरतीय मानक ब्यूरो IS 15700 मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

ई-टेंडरिंग हेतु आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत सभी सूचीबद्ध ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि परिषद में **रू0 1.00** करोड़ अथवा अधिक की निविदाओं को दिनाँक **26.01.2015** से नियोजित किये जाने हेतु 'ई–टेंडरिंग' प्रणाली लागू की जा रही है, जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र **(NIC)** के वेब पोर्टल **etender.up.nic.in** के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। परिषद में उक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार, जो भविष्य में परिषद में कार्य करने हेतु इच्छुक है, उन्हें निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ **'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0'** लखनऊ के नाम से देय शुल्क के रूप में **रु0 7686/–** (रु0 सात हजार छः सौ छियासी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट तथा **'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' लखनऊ** के नाम से देय प्रोसेसिंग फीस के विरूद्ध **रु0 1000/–** (रु0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से विलम्बतम दिनाँक **13.01.2015** तक **श्री अनूप जोशी, प्रभारी (कम्प्यूटर सेल) एवं नोडल अधिकारी (ई–टेंडरिंग) मुख्यालय 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ** को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित शुल्क सहित सही पाये गये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही परिषद द्वारा उनके डिजिटल सिग्नेचर **(Digital Signature)** आवंटित कराते हुए उन्हें उपलब्ध कराये जायेंगे।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को इस 'ई–टेंडरिंग' प्रक्रिया के अन्तर्गत योजनाओं के निर्माण कार्यों में भागीदार बनाने हेतु दिनाँक **13.01.2015** को प्रातः **11.00** बजे से परिषद मुख्यालय, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में एक प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ऐसे समस्त ठेकेदार सादर आमंत्रित हैं।

इस सन्दर्भ में विस्तृत सूचनायें एवं अन्य जानकारियाँ परिषद की वेबसाइट **upavp.com** के **E-Tendering** लिंक तथा टोल–फ्री नम्बर **1800–180–5333** अथवा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट **uplc.in** तथा दूरभाष संख्या **0522–4130303 (Ext. 307)** से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त